

उत्तरांचल शासन  
सूचना अनुभाग  
संख्या –253/XXII/2005-1(20)2005  
सचिवालय, देहरादून दिनांक: 03 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसे सौंपे गये कृत्यों का पालन करने के लिये इस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, श्री राज्यपाल, "उत्तरांचल सूचना आयोग" का गठन करते हैं।

(डी.के.कोटिया)  
सचिव

संख्या – XXII/2005 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल ।
2. सचिव, विधानसभा, विधान भवन, देहरादून ।
3. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन ।
4. रजिस्ट्रार, मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल ।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
8. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
9. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
11. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल ।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
13. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून ।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
15. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर ।
16. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट, भाग-4 खण्ड ख में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
17. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(डी.के.कोटिया)  
सचिव